## भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

HYDERABAD REGIONAL OFFICE



## पंजीकरण प्रमाण पत्र CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

> सख्या No.

N-09.00447

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए को विविफाय इंडिया फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

## पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

## VIVIFI INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED

is hereby granted

**Certificate of Registration** 

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन हैदराबाद में मार्च दो हज़ार सत्रह

तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at day of Thirty First

March

Hyderabad Two Thousand Seventeen.

this

(स्वेंद् पति / Suvendu Pati)